

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक :: शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1/45001/पी.एस.सी.-2012/2017 दिनांक 27.12.17 द्वारा प्रधानाध्यापक-मावि के पद पर पदस्थापन आदेश प्रसारित किये गये थे, विभाग द्वारा जारी उक्त आदेश में दिनांक : 05.01.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे।

प्रधानाध्यापक-मावि की कार्यभार ग्रहण किये जाने की अवधि में अभिवृद्धि चाहे जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र के आधार पर निम्नांकित प्रधानाध्यापक-मावि को नव पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण किये जाने की अवधि में (कॉलम संख्या-04 में अंकितानुसार) निम्नानुसार अभिवृद्धि सम्बन्धी स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम कार्मिक (सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री)	पदस्थापन स्थान	कार्यग्रहण अभिवृद्धि (दिनांक..... तक)
1	2	3	4
1.	श्री सुजीत राघावत व्याख्याता, हिन्दी राउमावि बाना, भिण्डर जिला उदयपुर।	रामावि कान्बा, बिच्छीवाडा जिला डूंगरपुर	06.04.2018 तक

संबन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित दिनांक तक संबन्धित विधालय में कार्यग्रहण करे अन्यथा पदस्थापन आदेश निरस्त समझा जावे। शेष शर्तें मूल आदेशानुसार रहेगी।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक::शिविरा/मा/संस्था/बी-1 /45001/प्रधानाध्यापक/कार्यग्रहण अभिवृद्धि/2018 दिनांक: 03.04.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबन्धित उपनिदेशक, /जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा,
2. सम्बन्धित संस्था प्रधान/प्रधानाध्यापक, रामावि को पालनार्थ।
3. संबन्धित शिक्षा अधिकारी।
4. निजी/ रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)